

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2072| No. 2072| नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 2012/आश्विन 23, 1934 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2012/ASVINA 23, 1934

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2503(अ).—यतः, मैं. एच एन कम्पनी ने नागालैण्ड राज्य के स्थान दीमापुर में एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विस्तार को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

### तालिका

स्थान	विस्तार	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)
दीमापुर	उत्तर: ग्राम थिलिक्सु/चेकीये घोकुटु की ओर जाने वाली एच एन कम्पनी की भूमि पूर्व: बाईपास मार्ग की तरफ दीवार पश्चिम: नहर (स्ट्रीम) दक्षिण: औद्योगिक विकास मार्ग	290 हेक्टेयर

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य, पदेन
	मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर	
	सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय	सदस्य, पदेन
'	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले	सदस्य, पदेन
	सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका	
	नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर	सदस्य, पदेन
	आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम	
	नहीं होगा	
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका	सदस्य, पदेन
1	स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/128/2007,-एसईजेड] सुमन्ता चौधरी, संयुक्त सिंघव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2012

S.O. 2503(E).—Whereas, M/s. HN Company has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a multi-product Special Economic Zone at Dimapur in the State of Nagaland;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 30th July, 2007;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with dimensions given below in the table, as a Special Economic Zone, namely:-

**TABLE** 

Name of the location	Dimensions	Area
(1)	(2)	(3)
DIMAPUR	North: HN Company land approaching Thilixu/Chekiye Ghokuto Village East: By-pass Road Wall West: Stream South: Industrial Growth Road	290 hectares

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

<u>1.</u>	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson
1.	Development Commussioner of the operation and and	ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India,	Member ex officio;
	Ministry of Commerce and Industry, Department of	
	Commerce or his nominee not below the rank of Under	
	Secretary to the Government of India	
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having	Member ex officio;
	territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having	Member ex officio;
	territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his	
	nominee not below the rank of Joint Commissioner	
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction	Member ex officio;
	over the Special Economic Zone or his nominee not below	
	the rank of Joint Commissioner	
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking	Member ex officio;
	Division, Government of India	
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be	Member ex officio;
	nominated by the State Government	
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the /5<sup>th</sup> day of October, 2012 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/128/2007-SEZ] SUMANTA CHAUDHURI, Jt. Secy.